न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक बनाम ज्योति शर्मा व अन्य

प्रकरण संख्या 636 / 2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बंधक संपत्ति का क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज दर्शाया गया है, जबकि संपत्ति दस्तावेजों में 1100 वर्गफीट अंकित किया गया है एवं आदिनांक तक संशोधित प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था / बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	